**संख्या-01/2018-3961/58-2018-294/2017**

प्रेषक,

**इन्दुबाला कटियार,**
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

**निदेशक,**
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**उद्यान अनुभाग** **लखनऊ:दिनांक: 05 जनवरी, 2018**

**विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-01-0102-पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन की योजना में पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-229/बजट/2017-18, दिनांक 28.12.2017 के संदर्भ में एवं शासन के पुनर्विनियोग सं0-आर.ई.146/ई-1/दस-2017 दिनांक 26.12.2017 पृष्ठांकन सं0-3632/58-2017-294/2017, दिनांक 29.12.2017 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-10 के उद्यान शाखा के अन्तर्गत पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन योजना में भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के पत्र सं0-**F.No.21-20/2017-REF-III** दिनांक 05.10.2017 के द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0-2340.00 लाख के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि रू0-2139.72 लाख को केन्द्रांश के रूप में राजस्व मद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

**अनुदान सं0-10 लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0102-पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन (के.60/रा.40-के.+रा.)**

**(धनराशि लाख रूपये में)**

| कोड सं0/मद का नाम | आय-व्ययक प्राविधान | अनुपूरक मांग से व्यवस्थित धनराशि | पुनर्विनियोग से प्रस्तावित | कुल योग | पूर्व में अवमुक्त | अवशेष | वर्तमान में अवमुक्त हेतु प्रस्तावित |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27-सब्सिडी | 2000.00 | 3201.89 | 2125.47 | 7327.36 | 1179.96 | 6147.4 | 2125.47 |
| 42-अन्य व्यय | 415.74 | | | 415.74 | 120.42 | 295.32 | 0.00 |
| 44-प्रशिक्षण | 67.42 | | 14.25 | 81.67 | 36.55 | 45.12 | 14.25 |
| **योग-** | **2483.16** | **3201.89** | **2139.72** | **7824.77** | **1336.93** | **6487.84** | **2139.72** |

**(रूपये-इक्कीस करोड़ उन्तालिस लाख बहत्तर हजार मात्र)**

1- पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन योजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय शासनादेश सं0-15/2017-1843/58-2017-429/2015, दिनांक 12.07.2017 में निर्धारित नवीन फण्डिंग पैटर्न के अनुसार केन्द्रांश राज्यांश एवं लाभार्थी अंश निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया जायेगा:-

http://shasanadesh.up.nic.in

| लाभार्थी श्रेणी | केन्द्रांश (60%) | राज्यांश (40%) | अतिरिक्त राज्यांश (Top-up) | कुल राज्यांश | कुल अनुदान | लाभार्थी अंश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| लघु एवं सीमान्त कृषक | 33% | 22% | 35% | 57% | 90% | 10% |
| अन्य कृषक | 27% | 18% | 35% | 53% | 80% | 20% |

उक्त के अतिरिक्त योजनान्तर्गत प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शत प्रतिशत भारत सरकार का अंश निहित होगा। तदनुसार केन्द्रांश/राज्यांश की अनुदान धनराशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर ही आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(3) अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि का व्यय नियमानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में धनराशि के व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृत की गयी है।

(7) ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रणाली के अन्तर्गत लाभार्थियों को भुगतान करने के सम्बन्ध में डी0बी0टी0 की प्रक्रिया निम्नवत अपनायी जायेगी :-

i वेब पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर लाभार्थियों को प्रथम-आवक प्रथम-पावक के सिद्वान्त पर चयनित कर लाभान्वित किया जायेगा।

ii योजनान्तर्गत इम्पैनल्ड निर्माता फर्मों में से किसी से भी ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी कृषक स्वतंत्र होगा और निर्माता फर्मो की स्वयं मूल्य प्रणाली के आधार पर किसी भी निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स से आपूर्ति/स्थापना का कार्य निजी श्रोत से भुगतान करते हुए शासकीय अनुदान की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से अपने बैंक खाते/ऋण खाते में अन्तरित की जायेगी।

iii लाभार्थी कृषक द्वारा ड्रिप/स्प्रिंकलर आपूर्ति/स्थापना की सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त निजी श्रोत से न दे पाने की स्थिति में शासकीय अनुदान की धनराशि के बराबर भुगतान हेतु पोस्ट डेटेड चेक (पी0डी0सी0) सम्बन्धित निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स को हस्तगत कराकर किया जा सकता है।

iv लाभार्थी से प्राप्त संतुष्टि प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी द्वारा गठित सत्यापन समिति जिसमें जनपदीय उद्यान अधिकारी सदस्य सचिव होंगे की संतोषजनक रिपोर्ट एवं निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर्स को किये गये भुगतान के आधार पर जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा नियमानुसार शासकीय अनुदान का वितरण/समायोजन एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से डी0बी0टी0 प्रक्रिया के अन्तर्गत लाभार्थी कृषक के खाते में तथा बैंक ऋण की स्थिति में लाभार्थी के बैंक ऋण खाते में किया जायेगा।

(8) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में यह प्राविधान है कि केन्द्र पोषित वाह्य सहायतित तथा राज्य/जिला सेक्टर जिनमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को किसी प्रकार **(Cash or Kind)** की सब्सिडी/सहायक अनुदान (गैर वेतन) दिया जाना है। ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि का मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से योजना के लिए जारी मार्गदर्शक सिद्वान्तों (गाइड लाइन्स) के अनुसार स्वीकृतिया जारी की जायेंगी। प्रश्नगत योजना पर उपरोक्तानुसार केन्द्रांश/राज्यांश टाप अप सहित दिये जाने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(9) लाभार्थी का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा।

(10) लाभार्थी चयन/अनुदान वितरण में अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(11) निर्माता फर्म द्वारा लाभार्थी कृषक के खेत में स्थापित संयंत्र 3 वर्ष तक फ्री सेल सर्विस की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(12) योजना पर किये गये व्यय के संबंध में मासिक विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराये जाय।

(13) इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0102- पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन-27-सब्सिडी-42-अन्य व्यय-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त धनराशि को पुनर्विनियोग के निर्धाधित प्रपत्र बी0एम0-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनांक 20.11.2017 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

**संलग्नक-यथोक्त।**

भवदीया,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

**संख्या-01/2018-3961(1)/58-2018, तददिनांक :-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
(2) सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
(3) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, लखनऊ।
(4) निदेशक, कृषि विभाग, कृषि भवन, लखनऊ।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

## पुर्नविनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम-10- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) वित्तीय वर्ष-2017-18

प्रपत्र बी0एम0-9

(धनराशि लाख रुपये में)

| निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग (2-5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-04-फल- | | | | | |
| 0417-मुख्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन | | | | | |
| 27-सब्सिडी | 3692.58 | 2139.72 | 2139.72 | 2139.72 | 1552.86 |
| योग- | **3692.58** | **2139.72** | **2139.72** | **2139.72** | **1552.86** |

| निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग | वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8) | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें- | | | | | |
| 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन (के.60/रा.40-के.+रा.) | | | | | |
| 27-सब्सिडी | 2000.00 | 4125.47 | 2125.47 | 2125.47 | 4125.47 |
| 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 67.42 | 81.67 | 14.25 | 14.25 | 81.67 |
| योग- | **2067.42** | **4207.14** | **2139.72** | **2139.72** | **4207.14** |

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-
वर्तमान में आवश्यकता न होने के कारण।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अनुपातिक रूप से राज्यांश को सम्मिलित करते हुए कुल अपेक्षित धनराशि उपलब्ध न होने के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नही होता है।

संख्या-आर.ई.146/ई-1/दस-2017, दिनांक 26.12.2017

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, शासन।

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

उत्तर प्रदेश शासन
उद्यान अनुभाग
संख्या–3632/58–2017–294/2017
लखनऊः दिनांक 29 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित :–

(1) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–1
(6) वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

so-go